अध्याय XV: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

15.1 सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन और सिलिकोन वेफरों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय

सीईएल ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सीवीसी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, प्रतिस्पर्घात्मक बोली की बजाय नामांकन आधार पर सिलिकोन वेफरों के लिए खरीद आदेश प्रस्तुत किया और अंतिम रूप से किए गए बिक्री ठेका में परिवर्तन किए जोकि बोर्ड के अनुमोदन से भिन्न थे ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने नामांकन आधार पर दिए गए कार्यों, ठेकों और परामर्शदात्री ठेकों में पारदर्शिता पर माननीय सर्वोच्च न्यायाल के निर्णय* में दी गई आपत्तियों के बारे में अपने संबंधित बोर्डों/प्रबंधनों को सूचित करने के लिए सभी प्रमुख सतर्कता अधिकारियों को परामर्श देते हुए आदेश जारी किए (जुलाई 2007)। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य, इसके निगमों, सहायकों और ऐजेंसियों द्वारा दिए गए ठेकों को सामान्यत: पात्र व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। दुर्लभ एवं अपवादात्मक मामलों में उदाहरणार्थ सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं और आपातकाल के दौरान; जहां खरीद केवल एक स्रोत से संभव है; जहां आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार के पास माल या सेवाओं आदि के संबंध में विशेष अधिकार है, वहाँ इस सामान्य नियम में विचलन हो सकता है और ऐसे ठेके निजी बातचीत के माध्यम से दिए जा सकते है तदनुसार, अपने आदेश में सीवीसी ने पुन: जोर दिया कि निविदा प्रक्रिया और सार्वजनिक नीलामी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ठेका देने के लिए मूलभूत आवश्यकता थी क्योंकि कोई दूसरा तरीका विशेषतौर पर नामांकन आधार पर ठेका देना, के कारण समानता के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जो सभी हितकर पार्टियों को समानता का अधिकार देता है।

** 2006 एसएलपी (सिविल) सं. 10174 से उदभूत हुए*

सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (कम्पनी) ने 20 लाख मोनो क्रिस्टेलाईन सिलिकोन वेफरो[1] की खरीद के लिए वैश्विक निविदा जारी की (अप्रैल 2010) जिसकी प्रतिक्रिया में छः बोलियां प्राप्त हुई। तकनीकी मूल्यांकन के बाद पांच फर्में पात्र पाई गई। एल1 बोलीदाता[2] को ठेका दे दिया गया किन्तु यूएसडी 1.98 की दर एक लाख सिलिकोन वेफरों की आपूर्ति करने के बाद इसने ओर अधिक आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। इसके पश्चात, कम्पनी ने जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 तक एक वर्ष के लिए यूएसडी 27,15,000 (₹ 13.21 करोड़) के लिए प्रति माह एक लाख सिलिकोन वेफरों की आपूर्ति के लिए मैं जियांग्सी एलडीके सोलर हाई-टैक कम्पनी (आपूर्तिकर्ता) को नामांकन के आधार पर एक ठेका दे दिया (दिसम्बर 2010)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया :

- कम्पनी ने प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों को आमंत्रित किए बिना नामांकन आधार पर ठेका दिया यद्यपि कुछ फर्में क्षेत्र में उपलब्ध थी। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित जुलाई 2007 के सीवीसी निर्देशों का उल्लंघन था।

- कम्पनी ने सिलिकोन वेफरों की खरीद करने के लिए निदेशक बोर्ड और सीएमडी से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन लिया था। बाद में, नामांकन के आधार पर ठेका देते समय कम्पनी ने बीओडी/सीएमडी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किए बिना ठेके की शर्तों एवं निबंधन में परिवर्तन किया।

- इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि बिक्री ठेका में यथा अनुबद्ध मूल्य भिन्नता खंड को कम्पनी द्वारा हटा दिया था यद्यपि इसका मॉडल बिक्री ठेका में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था। यह भी पाया गया कि सिलिकोन वेफरों के मूल्य 2009-10 से 2010-11 (अर्थात ठेका के कार्यान्वयन से पहले) तक यूएसडी 2.20 से यूएसडी 1.95 के बीच थे और इसके मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यूएसडी 0.55 तक तीव्रता से गिरावट आरम्भ हो गई किन्तु मूल्य अन्तर खंड को हटाने के कारण कम्पनी को आपूर्तिकर्ता से अतिशय निर्धारित दर पर सिलिकोन वेफर खरीदने पड़े। इसके पश्चात, जून 2011 के दौरान आपूर्तिकर्ता ने यूएसडी 1 के

---

[1] ***125 एमएम x125 एमएम***

[2] ***मैं; कैमप्लास्ट सेन्मर लिमिटेड***

मूल्य पर 30,000 सिलिकोन वेफरों की अतिरिक्त मात्रा का प्रस्ताव रखा जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया था। उसी माह के दौरान आपूर्तिकर्ता ने दोबारा यूएसडी 0.55 के मूल्य पर 30,000 सिलिकोन वेफरों की अतिरिक्त मात्रा का प्रस्ताव रखा लेकिन कम्पनी में वित्तीय बाधाओं के कारण इस डील को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

- आपूर्तिकार को अनुचित लाभ दिया गया था क्योंकि निष्पादन बैंक प्रतिभूति की आवश्यकता, जिसका प्रावधान मॉडल निविदा फॉर्म में किया गया था, में छूट दी गई और इसके बजाय असामान्य विचलन में क्रेता अर्थात स्वयं सीईएल ने आपूर्तिकार को यूएसडी 4,52,000 (₹ 2.03 करोड़[α]) के लिए बैंक प्रतिभूति मुहैया कराई थी।

- यह खरीद पिछली खपत पद्धतियों पर आधारित आवश्यकता के उचित निर्धारण के बिना की गई थी। यह देखा गया कि 2009-10 से 2012-13 के बीच औसत वेफर उपयोगिता प्रतिमाह 29,400 वेफरों से 49,620 वेफरों के बीच थी। तथापि, कम्पनी ने 2011 मे 12.30 लाख वेफरों की खरीद की जिसके कारण स्टॉक का संग्रहण हुआ।

- सितम्बर 2011 में महाप्रबंधक (पीवी) ने सलाह दी कि वेफरों के वैश्विक मूल्यों में प्रबल कमी के कारण वेफरों की खरीद और संसाधन ₹ 2.03 करोड़ की पूर्ववर्ती बैंक प्रतिभूति के बाद भी बहुत अलाभकारी था क्योंकि शेष मात्रा के लिए उत्पादन लागत बाजार कीमत से अधिक निकाली गई थी और इसलिए ठेके को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बावजूद, कम्पनी ने वित्तीय बाधाओं के बावजूद ठेके के अनुपालन से उत्पन्न परिणामों से बचने के लिए उपरोक्त ठेके को जारी रखा।

इस प्रकार, अतिशय निर्धारित मूल्य पर (यूएसडी 2.35 से 2.20 के बीच) प्रति माह एक लाख वेफरों की खरीद के अविवेपूर्ण निर्णय के कारण कच्चे माल का संग्रहण हो गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ (मार्च 2013) तक की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ। मालसूची के उपरोक्त संग्रहण के कारण कम्पनी ने अक्तूबर 2013 तक सिलिकोन वेफरों की खरीद के लिए कोई खरीद आदेश नहीं दिया। इसके अलावा,

---

[α] ***यूएसडी 1 = ₹ 45***

मालसूची के अनुचित निर्धारण और मूल्य अंतर खण्ड को हटाने के बाद नामांकन आधार पर ठेका देने के कारण भी ₹ 5.14 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

प्रबंधन ने निम्नलिखित को बताया (जनवरी 2014):

- उस समय अधिकतर सभी वेफर विनिर्माताओं ने वैश्विक रूप से 200 माइक्रोन वेफरों से कम के उत्पादन को समाप्त कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में 220+-20 माइक्रोन वेफरों के कोटेशन/उपलब्धता प्राप्त करना बहुत कठिन था।

- कम्पनी ने 1 लाख वेफरों की खरीदी की थी जिसके लिए संसाधन की पर्याप्त क्षमता थी और यह बुक किए गए आदेशों और प्रत्याशित आदेशों पर आधारित था। तथापि, कम्पनी मामलों के स्वचालन, मजदूरों को प्रशिक्षण का अभाव और वेफरों के खराब निर्वहण के कारण खरीदे गए वेफरों का संसाधन नहीं कर सकी थी जिसके परिणामस्वरूप टूट-फूट में बढ़ोतरी हुई। इन कारणों की वजह से संसाधन के लिए वेफरों के उपयोग को रोक दिया गया और कम्पनी की आवश्यकता को मोड्यूल और सेलों की आऊटसोर्सिंग से पूरा किया गया था।

- निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पीबीजी) यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी कि सीईएल सामग्री को खरीदने की अपनी प्रति बद्धता को पूरा करेगी। आपूर्तिकार से पीबीजी प्राप्त करना आवश्यक नहीं माना गया था इसलिए इस पर जोर नहीं दिया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जनवरी 2014) प्रबंधन के विचार का समर्थन किया।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- आपूर्तिकार को ठेका नामांकन के आधार पर दिया गया था जो जुलाई 2007 के सीवीसी अनुदेशों का उल्लंघन था जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है।

- मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर यह स्पष्ट करने मे विफल रहा कि मूल्य अंतर खंड को ठेका करते समय क्यों हटा दिया गया था यद्यपि इसका मॉडल बिक्री ठेका में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था। मूल्य अंतर खंड के इस विलोपन को संक्षम अधिकारी की अनुमति भी प्राप्त नहीं थी।

- यद्यपि निदेशक बोर्ड ने अपने कार्यवृत में ठेके के मूल्य के 10 प्रतिशत के डाउन भुगतान सहित करार करने को प्राधिकृत किया में, छूट दे दी। जबकि क्रेता अर्थात सीईएल ने आपूर्तिकार को दी गई बैंक प्रतिभूति को छोड़ दिया था।

- 2011 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान वास्तविक उपयोगिता से अधिक वेफरों की खरीद के कारण अधिक स्टॉक संग्रहण हुआ और किए गए भुगतानों का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।